

## राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ-226027

संख्या:ई-2569 /32-जी.एस./ 2025(NAAC)

दिनांक: 23 अप्रैल, 2026

प्रेषक:

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. कुलपति, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
2. कुलपति, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
3. कुलपति, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।
4. कुलपति, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
5. निजी सचिव, माननीय कैबिनेट मंत्री, उच्च शिक्षा, उ.प्र. सरकार।
6. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा, उ.प्र. सरकार।

महोदय/महोदया,

कृपया इस सचिवालय के पत्रांक संख्या:ई-2065/32-जी.एस./ 2025(NAAC) दिनांक 04.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया की अध्यक्षता में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के शासकीय एवं वित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की Power Point Presentation दिनांक 28.04.2026 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से 02:00 बजे तक, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का दिनांक 28.04.2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 06:00 बजे तक, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ का दिनांक 29.04.2026 पूर्वान्ह 11:00 बजे से 02:00 बजे तक तथा राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ का दिनांक 29.04.2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 06:00 बजे तक जन भवन, लखनऊ में समीक्षा बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित था।

2. आदेशानुसार उक्त समीक्षा बैठकों की तिथियों में संशोधन करते हुए अब उक्त विश्वविद्यालयों की तिथियां निम्नवत् निर्धारित की जाती हैं:-

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	दिनांक	समय
1	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।	06.05.2026	11:00 से 02:00 बजे तक
2	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।	06.05.2026	03:00 से 06:00 बजे तक
3	महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।	07.05.2026	11:00 से 02:00 बजे तक
4	राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।	07.05.2026	03:00 से 06:00 बजे तक

3. उक्त बैठकों के संबंध में निर्देश पूर्व पत्र अनुसार यथावत रहेंगे।

भवदीय,



( डॉ. पंकज एल. जानी )  
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त बैठकों में विभाग से सचिव/विशेष सचिव को सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. परिसहाय, (पी/ए), श्री राज्यपाल, उ.प्र.।
3. कम्प्यूटर, गृह अधिष्ठान, जन भवन, उ.प्र.।
4. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, जन भवन, उ.प्र.।

5. अधीक्षक, उद्यान, जन भवन, उ.प्र.।
6. सूचना अधिकारी, जन भवन, लखनऊ।
7. सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत), जन भवन, लखनऊ।
8. प्रोग्रामर, आई.टी. अनुभाग।
9. निजी सचिव, विशेष कार्याधिकारी (अपर मुख्य सचिव स्तर) को विशेष कार्याधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ।
10. निजी सचिव, विशेष सचिव, को विशेष सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
11. अपर निजी सचिव, विशेष कार्याधिकारी (शिक्षा) को विशेष कार्याधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ।

( हेमन्त कुमार चौधरी )  
कुलाधिपति के उप सचिव